राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 व 1740/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान–मैसर्स आई.टी.सी.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 26.09.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमे वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 26, 61 व 55 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष 2009–10, **2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 व 2014–15 के लिये पृथक्–पृथक् पारित निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 27.08.2014** के ज़रिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान क्रमशः रू.33,01,851/–, रू.56,59,253/–, रू.92,22,271/– रू.1,18,74,211/–, रू.2,03,50,468/– व रू.8,85,493/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 30.09.2014 को उपस्थित हुये। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के संबंध में किसी भी प्रकार के कारणों का उल्लेख नहीं किया है जो अस्पष्ट आदेश (Non-speaking order) की श्रेणी में आता है। विशिष्ट रूप से अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा **अपील संख्या 1674, 1675, 1676 व 1677/2014/जयपुर मैसर्स परफेटी इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर के न्यायिक दृष्टांत को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 26.09.2014** के जरिये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को स्वीकार कर, वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक लगायी गयी है । अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया मांग राशियों क्रमशः रू.33,01,851/–, रू.56,59,253/–, रू.92,22,271/– रू.1,18,74,211/–, रू.2,03,50,468/– व रू.8,85,493/– पर रोक लगाने का निवेदन किया गया अन्यथा अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा जारी **अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/154 दिनांक 09.03.2007 व अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ.12(84)एफ.डी/टैक्स/2009–42 दिनांक 30.07.2009** व समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्यश 332, 333, 334 व 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 26.07.2011	

लगातार.....2

08.10.2014

के जरिये प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया गया है । अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कथन कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों, प्रस्तुत दस्तावेजों व कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 1674, 1675, 1676 व 1677/2014/जयपुर मैसर्स** परफेटी इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 26.09.2014 के प्रकरणों में समान बिन्दुओं पर बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगायी गयी है । अतः उक्त पारित रोक आदेशों के अवलोकन के पश्चात्, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर वसूली योग्य मांग राशियों क्रमशः रू.33,01,851/–, रू.56,59,253/–, रू.92,22,271/– रू.1,18,74,211/–, रू.2,03,50,468/– व रू.8,85,493/– की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।**

आदेश प्रसारित किया गया।

8.10.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य